

कृष्णपत्र परिषत् नं-1415062 Pg - 01-08-2014

प0स0-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन भाग-8(14-15)/646 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(विधि-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: जुलाई 31 ,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय - रु 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के कर निर्धारण के सम्बन्ध में
अध्यादेश संख्या-4 सन् 2014 द्वारा प्रख्यापित प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प0स0-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन भाग-8/(14-15)/553/वाणिज्य कर, दिनांक 17-7-2014 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए रु 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के चयन से संबंधित विवरण प्रारूप-क में भेजने की तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2014 तथा ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा इनका एप्रूवल (Approval) दिनांक 5-8-2014 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17-7-2014 द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में फील्ड के अधिकारियों द्वारा कार्य की अधिकता के दृष्टिगत समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2011-12 के लिए रु 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के चयन से संबंधित विवरण प्रारूप-क में भेजने की तिथि बढ़ा कर 20 अगस्त, 2014 तथा ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा इनका एप्रूवल (Approval) दिनांक 25-8-2014 तक किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह पत्र कमिशनर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में पारित किया जा रहा है।

३८९
३१.७.१४
(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।